मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2020-21

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

MADHYA PRADESH
मध्यप्रदेश

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण, ग्वालियर
(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, म.प्र. शासन)
श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

2020-21

अनुक्रमणिका

क्रमांक	अध्याय		पृष्ठ क्रमांक
01.	प्रभारी मंत्री एवं विभाग में पदस्थ प्रमुख पदाधिकारी/अधिकारी		01
02.	**भाग - एक**	विभागीय संरचना, अधीनस्थ कार्यालय/निगमों की सामान्य जानकारी, विशेषताए, महत्वपूर्ण सांख्यिकी	02-34
03.	**भाग - दो**	बजट विहंगावलोकन	35-36
04.	**भाग - तीन**	राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	37-42
05.	**भाग - चार**	सामान्य प्रशासनिक विषय	43-52
06.	**भाग - पॉच**	अभिनव योजनायें	53-54
07.	**भाग - छः**	विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन	55-56
08.	**भाग - सात**	सारांश	57-58
09.	**भाग - आठ**	महिलाओं के लिए किए गए कार्य	59-60

विभाग का नाम
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

प्रभारी मंत्री	:	माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान(दिनांक 23.03.2020 से 11.07.2020 तक) माननीय श्री ओमप्रकाश सखलेचा (दिनांक 12.07.2020 से निरंतर)
प्रमुख सचिव	:	श्री मनु श्रीवास्तव (दिनांक 06.12.2019 से 11.05.2020 तक) श्रीमती दीपाली दस्तोगी (दिनांक 12.05.2020 से 11.08.2020 तक)
सचिव	:	श्री विवेक कुमार पोरवाल (दिनांक 11.08.2020 से निरंतर)
उप सचिव	:	श्री पर्वत सिंह (दिनांक 06.05.2016 से 07.01.2021 तक) श्री शशिभूषण सिंह (दिनांक 26.12.2020 से निरंतर)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	:	श्री राजीव जैन (दिनांक 05.04.2016 से निरंतर)

विभागाध्यक्ष

उद्योग आयुक्त	:	श्री मनु श्रीवास्तव (दिनांक 06.12.2019 से 11.05.2020 तक) श्रीमती दीपाली दस्तोगी (दिनांक 12.05.2020 से 11.08.2020 तक) श्री विवेक कुमार पोरवाल (दिनांक 11.08.2020 से निरंतर)

म. प्र. राज्य लघु उद्योग निगम

अध्यक्ष	:	श्री मनु श्रीवास्तव (दिनांक 06.12.2019 से 11.05.2020 तक) श्रीमती दीपाली दस्तोगी (दिनांक 12.05.2020 से 11.08.2020 तक) श्री विवेक कुमार पोरवाल (दिनांक 11.08.2020 से निरंतर)
प्रबंध संचालक	:	श्री मनु श्रीवास्तव (दिनांक 16.03.2020 से 31.03.2020 तक) श्री टी. इलैयाराजा (दिनांक 01.04.2020 से 15.06.2020 तक) श्री भास्कर लाक्षाकार (दिनांक 15.06.2020 से निरंतर)

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

अध्यक्ष	:	माननीय श्री ओमप्रकाश सखलेचा (दिनांक 12.07.2020 से निरंतर)
सचिव		श्री मजहर हाशमी (दिनांक 04.09.2019 से 04.07.2020 तक) श्री पी. सी. वर्मा (दिनांक 05.07.2020 से 22.01.2021 तक) श्री एन. एल. श्रीवास्तव (दिनांक 23.01.2021 से निरंतर)

भाग - एक

विभागीय संरचना

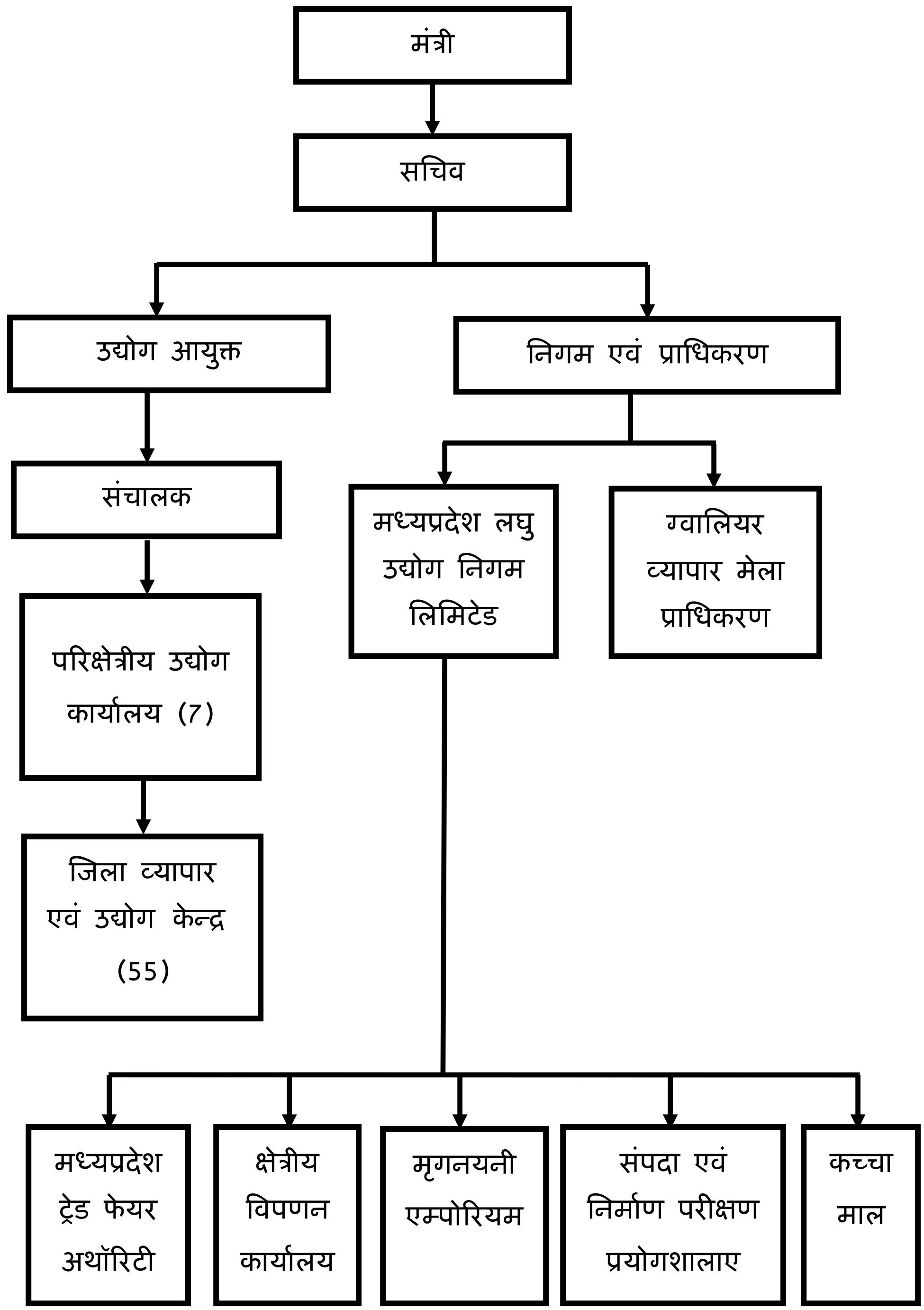

सामान्य जानकारी

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आर्थिक विकास के इंजन के रूप में और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। एमएसएमई को मजबूत करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग का गठन 5 अप्रैल, 2016 को किया गया था। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के गठन का लक्ष्य एमएसएमई के लिए ऐसी नीतियां बनाना है, जो कि उन्हें विकसित करने के साथ-साथ सक्षम भी बनाए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की मदद से एमएसएमई मध्य प्रदेश में सामाजिक-आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने का कार्य करते है। ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देकर विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सामान्य ग्रामीण लोगों और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करता है। विभाग एमएसएमई को ऋण, प्रौद्योगिकी तथा स्थानीय एवं वैश्विक बाजार तक की पहुँच प्रदान करता है। एमएसएमई को न्यूनतम साझा सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग क्लस्टरो का विकास भी करता है। स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से विभाग युवाओं को प्रोत्साहित करता है, ताकि वह अपने गृह शहर/गांव में अपने उद्यम स्थापित कर सके।

2. विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत एक विभागाध्यक्ष उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश है एवं उद्योग संचालनालय में एक संचालक पदस्थ है।

3. वर्तमान में विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम तथा एक प्राधिकरण निम्नानुसार है :-

   (1) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

   (2) ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का अधिनियम

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से लघु एवं मध्यम उद्यमों की उन्नति और विकास में मदद करना है।

- उद्योग के साथ-साथ सर्विस सेक्टर को भी मान्यता देते हुए उद्योग के स्थान पर उद्यम की परिभाषा, सूक्ष्म उद्यम हेतु स्पष्ट प्रावधान।
- आर्थिक स्तर पर उपलब्धियों के अनुरूप मध्यम उद्यमों को परिभाषित करना।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा प्रदत्त सेवाओं और माल की खरीद के लिए वैधानिक अधिकार उपलब्ध कराना।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में भुगतान में विलम्ब को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान को सुदृढ़ करना।
- राष्ट्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम बोर्ड को वैधानिक आधार प्रदान करना।
- लघु उद्योगों के लिए जटिल व दोहरी पंजीकरण प्रक्रिया के स्थान पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए वैकल्पिक विवरण पत्रक भरने की व्यवस्था।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का वर्गीकरण - 01 जुलाई, 2020 से एमएसएमई का नवीन वर्गीकरण लागू हो गया है। संयंत्र एवं मशीनरी/उपस्कर में पूँजीनिवेश एवं वार्षिक कारोबार की अधिकतम सीमा के आधार पर उद्यम को वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

क्र.	**उद्यम का प्रकार**	**वर्गीकरण के मानदंड**
1	सूक्ष्म	जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपस्कर में एक करोड़ रूपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पांच करोड़ रूपये से अधिक का नहीं होता है।
2	लघु	जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपस्कर में दस करोड़ रूपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पचास करोड़ रूपये से अधिक का नहीं होता है।

क्र.	उद्यम का प्रकार	वर्गीकरण के मानदंड
3	मध्यम	जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपस्कर में पचास करोड़ रूपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार दो सौ पचास करोड़ रूपये से अधिक का नहीं होता है।

5. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की गतिविधियाँ

- म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 (1 अक्टूबर, 2019 से प्रभावशील) का क्रियान्वयन।
- मध्यप्रदेश इंक्यूबेशन और स्टार्टअप नीति 2016 एवं मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति 2019 (1 अप्रेल, 2020 से प्रभावशील) का क्रियान्वयन।
- नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर, प्रदेश प्रशासन को "उद्योग मित्र" (Industry Friendly) बनाना।
- औद्योगीकरण को गति प्रदान कर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी बनाना।
- एमएसएमई की स्थापना को प्रोत्साहित कर रोजगार के अवसर सृजित करना।
- उद्योगों में रुग्णता दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाना।
- विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओं को समन्वित कर रोजगार के निरंतर अवसर उपलब्ध कराना।

6. नीति, नियमों, आदेशों व निर्देशों का अंगीकरण

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 05-03/2016/अ-तेहत्तर, दिनांक 16.08.2016 द्वारा विभाग की पृथक नीति, नियम, आदेश व निर्देश जारी होने तक तत्समय वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग वर्तमान में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा जारी नीति, नियम, आदेश व निर्देश समस्त सुसंगत नियमों आदि सहित यथा आवश्यक यथा

स्थान के नाम के उल्लेख सहित विभाग (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग) द्वारा अंगीकृत किये गये है।

7. म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019

7.1 राज्य शासन द्वारा रोजगार सृजन, समावेशी विकास, एक सक्रिय नीति एवं विनियामक वातावरण बनाने, स्वरोजगार के लिए अवसर पैदा करने और इनके माध्यम से राज्य के समग्र औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 जारी की गई है, जो 1 अक्टूबर, 2019 से प्रभावशील है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को नीति अंतर्गत सहायता/सुविधा प्रदान करने हेतु "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" लागू की गई है। नीति में प्रावधानित सहायता/सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाईयों को 70 प्रतिशत रोजगार म. प्र. के स्थाई निवासियों को दिया जाना अनिवार्य है।

7.2 म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 अंतर्गत एमएसएमई हेतु सहायता/अनुदान :

(i) **उद्योग विकास अनुदान** - सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण उद्यमों को संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये निवेश का 40% उद्योग विकास अनुदान के रूप में 4 समान वार्षिक किश्तों में प्रदान किया जाता है।

(ii) **इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास हेतु सहायता** - निजी या अविकसित शासकीय भूमि में स्थापित लघु और मध्यम श्रेणी की नई औद्योगिक इकाई को उसके परिसर तक अधोसंरचना विकास में किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 25 लाख रुपये की सहायता।

(iii) **अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों हेतु सहायता** - औद्योगिक इकाई द्वारा अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETP) की स्थापना के लिये किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 25 लाख रुपये की सहायता। औद्योगिक इकाईयों के समूह (कम से कम 5) द्वारा सार्वजनिक

अपशिष्ट उपचार संयंत्र (CETP) की स्थापना के लिये किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 100 लाख रुपये की सहायता।

(iv) निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर की स्थापना/ विकास हेतु सहायता - निजी सेक्टर में औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के विकासकर्ता को विकास में किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 250 लाख रुपये की सहायता। निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए अधोसंरचना विकास करने वाली एजेन्सी को किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 50 लाख रुपये की सहायता।

(v) ऊर्जा लेखा परीक्षा (ऑडिट) हेतु सहायता- एमएसएमई इकाइयों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा की लागत का 50%, अधिकतम 50 हजार रुपये और ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी को अपनाने के लिए हुये व्यय का 25%, अधिकतम 5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति।

(vi) गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रतिपूर्ति - सूक्ष्म स्तर की इकाईयों द्वारा आईएसओ/बीआयएस/बीईई प्रमाण पत्र के लिये प्रमाणीकरण हेतु किए गए व्यय का 100%, अधिकतम 5 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति।

जेड (ZED) प्रमाणन, एमएसएमई की ब्रांड पहचान में सुधार लाने और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों को क्रमशः 80%, 60% और 50% की दर से सहायता प्रदान करती है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शेष राशि की 50% प्रतिपूर्ति (सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों के लिए कुल लागत का क्रमशः 10%, 20%, 25%)।

नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान केवल निर्यात के लिए गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 25 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति, यदि ऐसा प्रमाणन राज्य की विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई को यूएसए/यूरोपियन

यूनियन/OECD के अन्य सदस्य देशों में निर्यात करने हेतु पात्र बनाए।

(vii) **पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति** - एमएसएमई इकाइयों को नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान घरेलू पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण कराने हेतु किये गये व्यय की 100%, अधिकतम 5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण कराने हेतु किये गये व्यय की 100%, अधिकतम 10 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति।

(viii) पॉवरलूम, फार्मास्युटिकल एवं परिधान क्षेत्र हेतु विशेष पैकेज

8. म. प्र. स्टार्टअप नीति 2019

8.1 राज्य में उद्यमशीलता की संस्कृति का समर्थन करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करके स्टार्टअप और इनक्यूबेटरों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में मध्य प्रदेश की स्थापना करने हेतु 'म. प्र. स्टार्टअप नीति 2019' जारी की गई है।

8.2 'म. प्र. इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति 2019' अंतर्गत प्रमुख सहायता/अनुदान

I. इन्क्यूबेटरों को प्रोत्साहन

अ) पूंजी अनुदान :

(i) इंक्यूबेटर की स्थापना में किये गये स्थायी पूंजी निवेश (भूमि एवं भवन को छोड़कर) का अधिकतम 50% या 1 करोड़ रूपये (जो भी कम हो) का एक बार पूंजी अनुदान।

(ii) राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटरों (TBI) की स्थापना के लिए अग्रिम टॉप-अप अनुदान प्रदान करेगी, जो अधिकतम 50 लाख रूपये तक सीमित होगा, परंतु प्राप्त कुल सहायता

कुल परियोजना लागत के 50% से अधिक नहीं होगी।

(iii) राज्य सरकार मध्यप्रदेश के जनजातीय जिलों में स्थापित लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स (LBI) की स्थापना के लिए अधिकतम 100 लाख रूपये अग्रिम अनुदान प्रदान करेगी, परंतु प्राप्त कुल सहायता कुल परियोजना लागत के 100% से अधिक नहीं होगी।

ब) संचालन सहायता :

स्वीकृति दिनांक से 3 साल के लिए संचालन में हुआ वास्तविक व्यय या 10 लाख रूपये प्रतिवर्ष (जो भी कम हो)।

स) स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण

इंक्यूबेटरों को उनका संचालन प्रारंभ होने पर भूमि/कार्यस्थल के क्रय/पट्टे पर एक बार शत-प्रतिशत स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति।

II. स्टार्टअप को प्रोत्साहन

अ) निर्वाह भत्ता : साथी इंक्यूबेटर से जुड़ने के 3 महीने बाद 1 वर्ष की अवधि के लिए या स्टार्ट-अप के पोस्ट-ट्रैक्शन अवधि तक पहुंचने पर (जो भी कम हो), 10,000 रूपये प्रति माह।

ब) लीज़ किराया अनुदान : अनुशंसा की दिनांक से 3 वर्ष के लिये 50% या अधिकतम 3 लाख रूपये (जो भी कम हो) प्रति वर्ष की प्रतिपूर्ति।

स) मार्जिन मनी / ब्याज अनुदान : परियोजना के पूंजीगत व्यय पर निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा -

1) मार्जिन मनी सहायता: अधिकतम 15%, 12 लाख रूपये तक
2) ब्याज अनुदान : अधिकतम 5% , 7 वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रूपयें की सीमा तक

द) **पेटेंट पंजीयन/गुणवत्ता प्रमाणन :** नीति की प्रभावशील अवधि में सफलतापूर्वक पेटेंट/प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए लागत प्रतिपूर्ति

घरेलू पेटेंट : 2 पेटेंट तक अधिकतम 2 लाख रू. प्रति स्टार्टअप

अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट : 1 पेटेंट के लिये अधिकतम 5 लाख रू. प्रति स्टार्टअप

गुणवत्ता प्रमाणीकरण : 2 प्रमाणपत्र तक अधिकतम 3 लाख रू. प्रति स्टार्टअप

इ) **स्टार्टअप विपणन सहायता :** बाजार के लिए एक अभिनव उत्पाद शुरू करने की स्थिति में शर्तो के अधीन अधिकतम 10 लाख रू. की सहायता।

फ) **राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित आयोजनों में भागीदारी :** नीति की अवधि में एक बार स्टार्टअप के अधिकतम 2 सदस्यों के लिये भागीदारी शुल्क और आवास के लिए 50% तक या 1 लाख रू. की प्रतिपूर्ति (जो भी कम हो)

III. स्टार्ट-अप्स के वित्त पोषण के लिए प्रावधान

अ) 'म. प्र. स्टार्टअप ऑफ द ईयर चैलेंज', जिसमें 20 विचारों को सम्मानित किया जाएगा, की मेजबानी के माध्यम से, नवाचारी स्टार्टअप्स को पुरूस्कार राशि के रूप में प्री-सीड सहायता।

ब) नीति की अवधि में स्टार्टअप को सीड सहायता के लिए रिवॉल्विंग फंड बनाने हेतु राज्य सरकार 10 करोड़ रू. उपलब्ध कराएगी।

स) वेंचर वित्त पोषण : राज्य एक वैकल्पिक फण्ड में 50 करोड़ रू. का निवेश करेगा

9. लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड

9.1 प्रदेश के एमएसएमई के संवर्धन हेतु परामर्श एवं सुझाव, उद्योग संवर्धन नीति पर सुझाव तथा उद्योगों में आने वाली कठिनाईयों के

निराकरण के लिए राज्य स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया था। शासन आदेश दिनांक 20 फरवरी, 2018 से बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। माननीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग बोर्ड के अध्यक्ष है और एमएसएमई से जुड़े विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों को बोर्ड में सदस्य बनाया गया है।

9.2 राज्य शासन द्वारा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया है।

10. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में भुगतान में विलम्ब को रोकने के लिये "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006" की धारा 30 एवं 21 के अंतर्गत राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल का गठन करने का प्रावधान है। राज्य शासन द्वारा "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006" के अध्याधीन, मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल नियम 2006 दिनाँक 10 जनवरी, 2007 को अधिसूचित किये गये थे तथा फैसिलिटेशन काउन्सिल के गठन की अधिसूचना दिनाँक 10 जनवरी, 2007 को जारी कर दी गई थी। फेसिलिटेशन काउंसिल ने जुलाई 2007 से बैठकें प्रारंभ की है। राज्य शासन के आदेश दिनांक 24.11.2017 से मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल के कार्यकरण को सुविधायुक्त बनाने के लिए नवीन मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल नियम 2017 जारी किये गये है।

11. मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम

मध्यप्रदेश राज्य में औद्योगिक अविकसित भूमि, औद्योगिक क्षेत्र की विकसित एवं विकसित की जाने वाली भूमि एवं औद्योगिक भवनों के प्रबंधन हेतु "मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम" लागू है।

12. म. प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015

शासकीय क्रय में कार्यकुशलता, समयबद्धता, मित्तव्ययिता, पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन, शासकीय विभाग एवं उनके घटकों द्वारा सामग्री एवं सेवा उपार्जन हेतु म. प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम - 2015 दिनांक 28 जुलाई, 2015 से लागू किया गया है।

13. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 अंतर्गत विभागीय सेवाएं

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 अंतर्गत विभाग की सात सेवाए यथा एमएसएमई प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान, प्रवेश कर मुक्ति, वैट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन के पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी प्रदान करना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदन के पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी प्रदान करना व उसे सक्षम समिति से निर्णीत कराना और विभागीय आधिपत्य के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल प्रदाय की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र जारी कराना, अधिसूचित की गई है। साथ ही सेवाओं को प्रदान करने हेतु प्रक्रिया भी जारी की गई है।

14. सेण्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी (सीपेट), भोपाल

सीपेट, भोपाल को भारत सरकार से उनकी परियोजना हेतु अधोसंरचना, मशीनरी एवं उपकरण हेतु सहायता प्राप्त हो रही है। यह सहायता, केन्द्र सरकार अंश 50 प्रतिशत, राज्य सरकार अंश 50 प्रतिशत के आधार पर प्राप्त होती है। नये शैक्षणिक भवन एवं बालक छात्रावास के निर्माण हेतु वर्ष 2020-21 में सहायता प्रदान की गई है।

15. सेण्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी (सीपेट), वोकेशनल ट्रेनिंग सेण्टर, ग्वालियर

भारत सरकार की परियोजना अंतर्गत रू. 40.10 करोड़ की लागत से ग्वालियर में वोकेशन ट्रेनिंग सेण्टर स्थापित किया गया है, जिसमें नवंबर,

2016 से अस्थायी भवन में प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। राज्य शासन द्वारा इस सेण्टर हेतु 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। परियोजना अंतर्गत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार अंश 50-50 प्रतिशत है। वोकेशनल ट्रेनिंग सेण्टर के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2020-21 में सहायता प्रदान की गई है।

16. स्वरोजगार योजनाएं

राज्य शासन द्वारा स्वरोजगार योजनाओं यथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के माध्यम से स्वरोजगार प्रदान किया जा रहा है। विभाग उक्त योजनाओं के संचालन हेतु नोडल विभाग है।

वर्ष 2020-21 में उक्त योजनाओं अंतर्गत लक्ष्य आवंटित नहीं किये गये है।

17. पॉवरलूम बुनकरों को विद्युत अनुदान

विभाग द्वारा 150 अश्वशक्ति तक के पॉवरलूम उपभोक्ताओं को रियायत रियायती दरों पर विद्युत का प्रदाय करवाई जाती है। ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेश के 20 अश्वशक्ति तक के पॉवरलूम उपभोक्ताओं को 1.50 रूपये प्रति युनिट की दर से और 20 अश्वशक्ति से अधिक परंतु 150 अश्वशक्ति तक के पॉवरलूम उपभोक्ताओं को 1.25 रूपये प्रति युनिट की दर से छूट प्रदान कर रियायती दर पर विद्युत प्रदाय की जाती है एवं विभाग द्वारा कुल छूट की राशि की प्रतिपूर्ति ऊर्जा विभाग को की जाती है। वर्ष 2020-21 में राशि रूपयें 6.39 करोड़ की प्रतिपूर्ति ऊर्जा विभाग को की गई है।

18. प्रदेश में एमएसएमई हेतु पृथक विभाग का गठन होने से प्रदेश के औद्योगीकरण में गति तथा रोजगार सृजन बढ़ा है, जिससे प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में तेजी से सकारात्मक बदलाव आया है। प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु प्रदेश के उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें उद्योगपतियों के साथ विचार विमर्श कर उन्हें प्रदेश में उद्योग नीतियों व औद्योगिक संभावनाओं की जानकारी प्रदान कर प्रदेश में उद्योग स्थापनार्थ आमंत्रित किया गया है।

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

क. दायित्व

- मध्यप्रदेश के समग्र आर्थिक विकास में औद्योगीकरण एवं व्यापार संवर्धन के माध्यम से योगदान देना।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एवं सहायक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन देना।
- प्रदेश में इंक्यूबेटरों व स्टार्टअप का पोषण एवं बढ़ावा देना।
- युवा उद्यमिओं को उद्यम की स्थापना हेतु ऋण उपलब्ध करवाना।
- विभिन्न स्वरोजगार मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा रोजगार के अवसरों का सृजन।
- निर्यात वृद्धि के लिए उत्प्रेरक एवं सहायक की भूमिका निभाना।
- प्रदेश में स्थित पावरलूम उद्योगों का विकास एवं पावरलूम औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन देना।

ख. सामान्य जानकारी

मध्यप्रदेश में प्रभावी व गतिशील औद्योगीकरण की दिशा में उद्योग संचालनालय द्वारा उद्योगों की स्थापना व उसके संचालन को सरल व सहज बनाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही विनिर्माण एमएसएमई की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु जिला कार्यालयों के माध्यम से एमएसएमई विकास नीति 2019 अंतर्गत अनुदान प्रदान करने का कार्य भी संचालनालय द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार संचालनालय द्वारा प्रदेश के बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही स्टार्टअप हेतु बेहतर पारिस्थिकी तंत्र का निर्माण भी संचालनालय द्वारा किया जा रहा है। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 अंतर्गत सेवाओं को सम्मिलित कर कार्य में पारदर्शिता लाई गई है।

ग. एमएसएमई का विकास

- **<u>सम्मेलन/वर्कशॉप का आयोजन</u>**

  एमएसएमई के विकास हेतु प्रदेश के जिला मुख्यालयों में जिलों की एमएसएमई इकाईयों के स्वामियों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों और स्वरोजगार योजनांतर्गत लाभांवित हितग्राहियों की सहभागिता से सम्मेलन/वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें सहभागियों से एमएसएमई के विकास हेतु सुझाव प्राप्त किये गये और उद्यम को आगे ले जाने के संबंध में एवं एमएसएमई से जुड़े विषयों पर जानकारी प्रदान की गई।
- विभाग द्वारा लॉकडाउन अवधि में उद्योगों को पुनः चालू करवाने में पूर्ण सहयोग किया गया। उद्योगों से समन्वय कर जिला स्तर पर मेडिकल ऑक्सीजन की सतत् आपूर्ति में विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
- **<u>क्लस्टर</u>** - भारत सरकार की क्लस्टर योजना के अंतर्गत प्रदेश में सामान्य सुविधा केन्द्र एवं अधोसंरचना के प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :-

  <u>सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC) के प्रस्ताव</u>

  1. जबलपुर मिष्ठान एवं नमकीन क्लस्टर, जबलपुर हेतु अंतिम अनुमोदन प्राप्त हो चुका है एवं एस.पी.व्ही. को भूमि हस्तांतरित की गई है।
  2. इंजीनियरिंग क्लस्टर, गोविंदपुरा भोपाल का प्रस्ताव हेतु अंतिम अनुमोदन हेतु भारत सरकार स्तर पर विचारधीन है।
  3. गूड़ क्लस्टर, बैतूल का प्रस्ताव State Level Project Steering Committee के अनुमोदन उपरांत भारत सरंकार को प्रेषित किया गया है।

  <u>अधोसंरचना (ID) के प्रस्ताव</u>

  निम्नानुसार प्रस्ताव अंतिम अनुमोदन हेतु भारत सरकार स्तर पर विचारधीन है :-

  1. एग्रोबेस्ड क्लस्टर - सनावद, खरगौन

2. लाख क्लस्टर - आकोड़ी, बालाघाट
3. फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर - कचनारिया, राजगढ़
4. इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल क्लस्टर - चोर डोंगरी, बैतुल
5. औद्योगिक क्षेत्र - मोहम्मदपुरा, बुरहानपुर
6. औद्योगिक क्षेत्र, गोविंदपुरा, जिला भोपाल का अधोसंरचना उन्नयन
7. औद्योगिक क्षेत्र, चन्द्रपुरा, जिला छतरपुर का अधोसंरचना उन्नयन
8. औद्योगिक क्षेत्र, अशोकनगर, जिला अशोकनगर का अधोसंरचना उन्नयन
9. औद्योगिक क्षेत्र, मटेहना, जिला सतना का अधोसंरचना उन्नयन
10. औद्योगिक क्षेत्र, मक्सी रोड, जिला उज्जैन का अधोसंरचना उन्नयन
11. औद्योगिक क्षेत्र क्र. 1, देवास, जिला देवास का अधोसंरचना उन्नयन

निम्नानुसार नए अधोसंरचना विकास का एक प्रस्ताव एवं अधोसंरचना उन्नयन के 3 प्रस्ताव तकनीकी मूल्यांकन/सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार स्तर पर प्रक्रियारत है :-

1. ग्राम चांदपुरा में विभाग के आधिपत्य की 30 एकड़ भूमि पर भोपाल शहर की लगभग 125 आरा मिलों को स्थानांतरित कर क्लस्टर के लिये नवीन औद्योगिक क्षेत्र का विकास।
2. औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम, जिला रतलाम का अधोसंरचना उन्नयन
3. औद्योगिक क्षेत्र, गंधारी, जिला दतिया का अधोसंरचना उन्नयन

- <u>टेक्नालॉजी सेण्टर एवं एक्सटेंशन सेण्टर</u>

  जबलपुर में 01 टेक्नालॉजी सेण्टर एवं 8 जिलों यथा छिंदवाड़ा, ग्वालियर, खरगौन, रतलाम, सागर, सतना, सिंगरौली एवं शहडोल में एक्सटेंशन सेण्टर हेतु स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

घ. लैण्ड बैंक एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

- प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयुक्त शासकीय भूमियों का एक लैण्ड बैक बनाया गया है, जिससे उद्यमिओं को आकर्षित कर उद्यम स्थापित

किये जा सकें। मध्यप्रदेश शासन, प्रदेश में एमएसएमई की स्थापना के लिये दृढ़ संकल्पित है। वर्ष 2020-21 में 8 नवीन औद्योगिक क्षेत्र यथा कदमटोला, करैरा, सेजावाड़ा, बड़वार, पलकाटोकरी, आगर रोड़ उद्योग पुरी, निमरानी एवं चिरवई को अधिसूचित किया गया है।

- वर्तमान में प्रदेश में 194 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है। इनके साथ-साथ अनेक अविकसित भूमियों को चिन्हित किया जाकर उन्हें विकसित किया जा रहा है।
- वर्ष 2020-21 में प्रदेश में स्थापित विभागीय औद्योगिक क्षेत्र हेतु जनवरी, 2021 अंत तक राशि 5536.40 लाख रूपये व्यय की गई है।

च. एमएसएमई बिजनेस फेसिलिटेशन सेल

एमएसएमई इकाईयों को शासन की नीतियों पर मार्गदर्शन, सुविधा एक स्थान पर प्रदान करने हेतु एमएसएमई बिजनेस फेसिलिटेशन सेल का गठन किया गया है। उद्योग संचालनालय, म.प्र. में एमएसएमई बिजनेस फेसिलिटेशन सेल (हब) हेतु चयनित संस्था द्वारा 01 मार्च, 2017 से 31 अगस्त, 2020 तक कार्य किया गया है। नवीन संस्था के चयन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है।

छ. स्वरोजगार योजनाएं

- **मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना** :- प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक से सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना दिनांक 01.08.2014 से प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रुपये 10 लाख से अधिकतम रुपये दो करोड़ तक है। योजना के प्रावधान अनुसार आवेदक का परिवार पहले से उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित नहीं होना चाहिए। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिनमनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाता है। योजना में बीपीएल आवेदक एवं महिलाओं को अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है।
- **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना** :- प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक से सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराने के

उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना दिनांक 01.08.2014 से प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रुपये 50 हजार से अधिकतम रुपये 10 लाख तक है। योजना के प्रावधान अनुसार आवेदक का परिवार पहले से उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित नहीं होना चाहिए और आवेदक स्वयं आयकरदाता नहीं होना चाहिए। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिनमनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाता है।

- **मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना :-** प्रदेश के किसानों के पुत्र/पुत्रियों को अपना उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक से सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना दिनांक 16.11.2017 से प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रुपये 50 हजार से अधिकतम रुपये 2 करोड़ तक है। योजना के प्रावधान अनुसार आवेदक का परिवार पहले से उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित नहीं होना चाहिए। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिनमनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाता है।

- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :-** भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को समन्वित कर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। राष्ट्र स्तर पर योजना की नोडल एजेन्सी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है। प्रदेश स्तर पर योजना का संचालन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड व जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग के लिये अधिकतम परियोजना लागत रू. 25 लाख तथा सेवा/व्यवसाय के लिये अधिकतम परियोजना लागत रू. 10 लाख हेतु बैंक के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। उद्योग क्षेत्र की परियोजना में परियोजना लागत रू. 10 लाख से अधिक होने पर और सेवा क्षेत्र की परियोजना में परियोजना लागत रू. 5 लाख से अधिक होने की स्थिति में, आवेदक का न्यूनतम आठवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

योजनांतर्गत हितग्राहियों को शहरी व ग्रामीण के आधार पर मार्जिनमनी सहायता का लाभ दिया जाता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम/मुद्रा योजना अंतर्गत लाभांवित विद्यमान इकाई के विस्तार के लिये भी योजनांतर्गत उद्योग के लिये रू. 1 करोड़ तक की परियोजना लागत हेतु और सेवा/व्यवसाय के लिये रू. 25 लाख तक की परियोजना लागत हेतु बैंक के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। साथ ही परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

ज. सूचना प्रौद्योगिकी कार्य

प्रदेश के उद्यमियों को ऑनलाईन सेवाए व जानकारी प्रदान करने हेतु राशि रू. 626.27 लाख की परियोजना लागत से ऑफिस ऑटोमेशन का कार्य वर्ष 2015-16 में प्रारंभ किया गया है, जो वर्ष 2020-21 तक पूर्ण होगा। प्रथम तीन वर्षो में साफ्टवेयर का विकास एवं प्रशिक्षण का कार्य किया गया है। शेष तीन वर्षो में विकसित साफ्टवेयर के रखरखाव का कार्य मैप-आईटी द्वारा किया जावेगा। उक्त परियोजना के तहत विभागीय वेबसाईट mpmsme.gov.in (हिन्दी URL : एमपीएमएसएमई.सरकार.भारत) विकसित कर प्रारंभ की गई है। वेबसाइट जी.आई.जी.डब्ल्यू. मापदंडो के अनुरूप विकसित की गई है। विभागीय सुविधाएँ चरणबद्ध रूप से उद्यमियों को ऑनलाईन प्रदान की जा रही है, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ गई है। उक्त के साथ-साथ एमआईएस प्रणाली भी विकसित की गई है। स्वरोजगार योजनाओं के आवेदन ऑनलाईन प्राप्त कर बैंको को ऑनलाईन प्रेषित किये जा रहे है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आवंटन तथा शुल्क का भुगतान शत-प्रतिशत ऑनलाईन किया गया है। साथ ही एमएसएमई अवार्ड हेतु ऑनलाईन एप्लीकेशन एवं एमएसईएफसी के अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रकरणों का ऑनलाईन मैनेजमेंट प्रारंभ किया गया है। विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के एनआईसी अंतर्गत ई-मेल पते बनाए गए है और उन्हें विकसित साफ्टवेयर के उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल के पालन हेतु विभागीय बैठके वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई है।

झ. इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप

- प्रदेश में 32 पार्टनर इंक्यूबेशन सेण्टर कार्यरत है, जिसकी जानकारी विभागीय वेबसाईट पर स्टार्टअप की सुविधा हेतु उपलब्ध कराई गयी है। साथ ही प्रदेश में लगभग 1132 स्टार्टअप पंजीकृत किये गये है।
- स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये ऑनलाईन/ऑफलाईन कार्यशालाएं एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किये गये है।
- केन्द्र सरकार के सहयोग से ग्वालियर में अपेरल सेक्टर पर आधारित इंक्यूबेशन सेण्टर का निर्माण किया गया है।

ट. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के भवनों का निर्माण

प्रदेश के विदिशा, झाबुआ एवं बालाघाट जिलों में स्थित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया गया है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों श्योपुर, सीहोर, उमरिया, डिण्डौरी एवं सिंगरौली के भवनों का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। साथ ही हरदा एवं निवाड़ी में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

ठ. उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण सांख्यिकी

- **<u>उद्यमों की स्थापना</u> :-**

  - भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हेतु उद्योग आधार मेमोरेण्डम फाईल किये गये की व्यवस्था समाप्त की जाकर 01 जुलाई, 2020 से उद्यम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था प्रारंभ की गई है।
  - प्रदेश में वर्ष 2015-16 सें 2019-20 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम द्वारा वर्षवार फाईल किये गये मेमोरेण्डम और उसके अनुसार प्रदेश में पूँजी निवेश एवं रोजगार की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	संख्या	पूँजी निवेश (रू. करोड़ में)	रोजगार
1	2015-16	48179	5171.75	194761

क्र.	वर्ष	संख्या	पूँजी निवेश (रू. करोड़ में)	रोजगार
2	2016-17	87071	9547.32	363812
3	2017-18	206142	14401.67	596990
4	2018-19	297595	19284.97	1030084
5	2019-20	288479	19242.09	993876

- **स्वरोजगार योजनाएँ :-**

  ❖ वर्ष 2020-21 में स्वरोजगार योजनाओं के लक्ष्य आवटित नहीं किये गये है। मार्च, 2020 तक के वितरित प्रकरणों में मार्जिन मनी/ब्याज अनुदान/सीजीटीएमएसई अंतर्गत राशि रू. 122.82 करोड़ वितरित की गई है।

- **शासकीय भूमि का हस्तातंरण :-**

प्रदेश में एमएसएमई हेतु नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना और निवेशकों की आवश्यकता के आधार पर वर्ष 2020-21 में जनवरी, 2021 अंत तक निम्नानुसार शासकीय भूमि राजस्व विभाग से हस्तांतरित कराई गई :-

क्र.	जिला	ग्राम	भूमि (रकबा हे. में)	हस्तांतरण आदेश दिनांक
1	धार	जैतपुर	21.00	05.08.2020
2	ग्वालियर	महाराजपुरा	07.15	10.08.2020
3	रीवा	धुमा	56.83	03.11.2020
		योग	**85.08**	

- **सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल :-**

वर्ष 2020-21 में 15 फरवरी, 2021 तक काउन्सिल की 08 बैठकें आयोजित की गईं है। विगत वर्ष के लंबित 326 प्रकरण एवं 2019-20 में प्राप्त 269 प्रकरण, कुल 595 प्रकरण काउन्सिल के समक्ष विचारार्थ रखें गये। इनमें से 36 प्रकरण खारिज हुये, 08 प्रकरणों (राशि रू. 1.87 करोड़)

में सुलह कराई गई एवं 67 प्रकरणों में कुल राशि लगभग रू. 28.22 करोड़ के आदेश/अवार्ड पारित किये गये हैं एवं 2 प्रकरणों में कुल राशि रू. 2.21 करोड़ के आदेश पारित किये जा रहे है। 77 प्रकरणों में कुल राशि लगभग रू. 30.44 करोड़ के समझौता आदेश/अवार्ड पारित किये गये हैं 115 प्रकरण काउन्सिल द्वारा अपूर्ण होने से पूर्ण कर प्रस्तुत करने हेतु वापिस किये गये। शेष 367 प्रकरण 16 फरवरी, 2021 की स्थिति में काउन्सिल के समक्ष विचारार्थ है।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

(अ) निगम की संरचना :-

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम का पंजीकरण कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत शासकीय कम्पनी के रूप में दिनांक 28 दिसम्बर, 1961 को किया गया था। वर्तमान में निगम की अधिकृत अंशपूंजी रू. 500.00 लाख है एवं इसके विरूद्ध प्रदत्त अंशपूंजी रू. 282.75 लाख है। प्रदत्त अंशपूंजी में रू. 267.75 लाख राज्य शासन के तथा रू. 15.00 लाख विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत शासन द्वारा निगम में वेष्ठित हैं। शासन आदेश के अनुरूप निगम द्वारा रू. 282.75 लाख में से रू. 72.45 लाख का निवेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, जो कि निगम की सहायक कम्पनी है, की अंशपूंजी में किया गया है।

(ब) निगम का उद्देश्य :-

(i) शासकीय विभागों हेतु उनकी आवश्यकताओं के उत्पादों का उपार्जन:- म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों के उत्पादों के विपणन की व्यवस्था करना तथा शासकीय/अर्धशासकीय विभागों/उपक्रमों को उचित गुणवत्ता की सामग्री का प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर प्रदाय करवाना।

(ii) प्रदेश के हस्तशिल्पियों, हाथकरघा एवं लघु उद्योग इकाईयों को मृगनयनी म. प्र. एम्पोरियमों के माध्यम से विपणन सुविधा प्रदान करना।

(iii) कच्चे माल (ऑयरन/स्टील) की आपूर्ति।

(iv) उद्योगों को परीक्षण सुविधाऐं उपलब्ध कराना।

(v) बिजनेस डेवलपमेंट सेल के अंतर्गत इकाईयों को कोयले का वितरण।

(vi) निर्माण कार्य, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एवं इंटिरियर डेकोरेशन।

(स) निगम की गतिविधियाँ :-

निगम द्वारा उपरोक्त उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न गतिविधियां संचालित की जाती हैं:-

(1) <u>विपणन गतिविधि</u> :-

म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियम 6 के अन्तर्गत म.प्र. लघु उद्योग निगम को उपार्जनकर्ता अभिकरण मनोनीत किया जाकर 39 वस्तुओं को निगम के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित किया गया था। शासन के आदेश क्रमांक एफ 6-9/2016/अ-तेहत्तर दिनांक 05.09.2018 द्वारा भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 में संशोधन कर निगम के माध्यम से क्रय हेतु सामग्री आरक्षण की व्यवस्था समाप्त की गई है। इसमें यह प्रावधान है कि परिशिष्ट "अ" में वर्णित वस्तुओं की दरें म.प्र. लघु उद्योग निगम में उपलब्ध होने की दशा में क्रयकर्ता द्वारा निगम के माध्यम से सीधे क्रय किया जा सकेगा। म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियम 8 में भी यह प्रावधान है कि अनारक्षित सामग्री की दरें म.प्र. लघु उद्योग निगम में उपलब्ध होने की दशा में क्रयकर्ता द्वारा इस संस्था से भी सामग्री क्रय की जा सकेगी। निगम के माध्यम से वर्तमान में शासकीय विभागों को उनकी मांग के अनुसार सामग्री का प्रदाय किया जा रहा है।

म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा विभिन्न क्रयकर्ता विभागों जैसे स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग इत्यादि की मांग के अनुसार GeM पोर्टल पर टेण्डर आमंत्रित कर सामग्री प्रदाय करवाने की व्यवस्था की गई है। निगम द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग की विशिष्ट मांग के दृष्टिगत साईकिलों के दर निर्धारण की कार्यवाही GeM पोर्टल पर सम्पादित करने के पश्चात साईकिलों का प्रदाय किया गया।

विपणन गतिविधियों को और प्रभावशाली एवं पारदर्शी बनाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही भी सम्पादित की गई है -:

1. लघु उद्योग निगम द्वारा नवीन निविदाएं मध्यप्रदेश शासन (NIC) की वेबसाईट mptenders.gov.in पर जारी की जाना प्रारम्भ की गई है।
2. लघु उद्योग निगम द्वारा नवीन SOP (Systmetic opperting procedure) जारी कर निविदा आमंत्रित करने एवं दर निर्धारण की कार्यवाही में अनेक संशोधन एवं सुधार किये गये हैं।
3. निगम द्वारा नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं इंटीरियर विभाग का गठन किया गया है, जिसके तहत विभागों/उपक्रमों की मांग के अनुसार आन्तरिक साज-सज्जा का कार्य किया जाता है।
4. मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से निर्धारित किये गये वस्तुओं की दर सूची "मैप आईटी" के माध्यम से डेवलप किये गये पोर्टल के माध्यम से क्रयकर्ता विभागों को प्राप्त होगी, जिसमें उस उत्पाद की फोटोग्राफ, लघु स्पेसिफिकेशन आदि भी होंगे, जिससे क्रयकर्ता विभागों को सामग्री के चयन में सुविधा होगी साथ ही उन्हें अपनी आवश्यकता के प्रदाय आदेश स्वयं ही जारी करने हेतु पोर्टल के माध्यम से सुविधा दी जा रही है।
5. क्रयकर्ता विभागों को प्रदायकर्ता एजेन्सी का स्वयं चयन करने, प्रदाय आदेश जारी करने, निरीक्षण एजेन्सी का चयन करने एवं सामग्री प्रदाय की स्थिति का आंकलन आनलाइन ही प्राप्त करने की सुविधा का विस्तार पोर्टल के माध्यम से किया गया है। प्रदेश के शासकीय विभागों के उपयोग में आने वाली सामग्री के क्रय हेतु सम्पूर्ण रूप से एक पारदर्शी प्रक्रिया का निर्माण किया गया है, जिससे प्रदेश की एम.एस.एम.ई. निश्चित ही लाभान्वित होंगी।
6. निगम के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए ई फाईल सिस्टम (ई-ऑफिस) लागू किया गया है।
7. निगम द्वारा ISO प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस गतिविधि के अन्तर्गत माह जनवरी, 2021 तक लक्ष्य रू. 500.00 करोड़ के समक्ष रू. 325.56 करोड़ का व्यवसाय हुआ है।

(2) <u>एम्पोरियम गतिविधि</u> :-

निगम द्वारा इस गतिविधि के अंतर्गत प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर मृगनयनी एम्पोरियमो का संचालन करके प्रदेश के बुनकरों, हस्तशिल्पियों एवं लघु उद्योगों के विभिन्न उत्पादों का विक्रय किया जाता है। वर्तमान में निगम द्वारा प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा में तथा प्रदेश के बाहर नई दिल्ली एवं कोलकाता में एम्पोरियमों का संचालन किया जा रहा है। निगम के एम्पोरियमों द्वारा समय-समय पर प्रदर्शनी/सेल आयोजित करके बुनकरों एवं शिल्पियों के उत्पादों का विक्रय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही निगम द्वारा देश एवं विदेश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित ट्रेड फेयर एवं प्रदर्शनियों में भाग भी लिया जाता है। एम्पोरियम विभाग द्वारा समस्त एम्पोरियमों का REVAMP (Process Review and Restructuring) करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

निगम द्वारा संचालित मृगनयनी म.प्र. एम्पोरियमों में विक्रय की जाने वाली विभिन्न हेण्डीक्राफ्ट सामग्रियों को प्रदाय करने हेतु मध्यप्रदेश के बुनकार/शिल्कार/हेण्डीक्राफ्ट एवं हेण्डलूम संगठन, सहकारी समितियों, शिल्पकारों एवं बुनकर समूह तथा एम.एस.ई. से EOI प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। एम्पोरियमों के उत्थान REVAMP (Process Review and Restructuring) हेतु कन्सलटेंट नियुक्त किये जाने बाबत कार्यवाही की जा रही है।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश कार्यक्रम के अन्तर्गत मृगनयनी एम्पोरियमों में विक्रय किये जाने वाले उत्पादों को फिल्पकार्ट के समर्थ एवं अमेजान के कारीगर ई-कामर्स वेबसाइट के माध्यम से प्रदर्शित एवं विक्रय करने की कार्यवाही की गई है। प्रथमतया मृगनयनी म.प्र. एम्पोरियम, नई दिल्ली में फिल्पकार्ट एवं मध्यप्रदेश मृगनयनी एम्पोरियम कोलकाता में अमेजान से ई-कॉमर्स वेबसाईट हेतु अनुबन्ध निष्पादित कर कार्यवाही की गई है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस गतिविधि के अंतर्गत माह जनवरी, 2021 तक लक्ष्य रू. 23.06 करोड़ के समक्ष रू. 10.10 करोड़ का व्यवसाय हुआ है।

<u>मेला प्रदर्शनी का आयोजन</u> :-

क. निगम द्वारा एम्पोरियमों की इस श्रृंखला में हस्तशिल्पियों एवं हाथकरघा के उत्पादों को पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाकर तथा राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी एवं शिल्प बाजारों का आयोजन कर प्रदेश की कला को प्रदर्शित किया जाता है। इससे प्रदेश के हाथकरघा एवं हस्तशिल्प की पहचान एवं इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों को एक समग्र बाजार विपणन हेतु प्राप्त होता है।

ख. निगम द्वारा प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्यप्रदेश के मंडप का निर्माण कर संचालन किया जाता है। इस वर्ष नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन नहीं हुआ।

ग. मध्यप्रदेश ट्रेड फेयर अथॉरिटी, भोपाल

म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी का गठन 12 अगस्त, 2005 को राज्य शासन द्वारा प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेलो में भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु किया गया है। प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों को उनके उत्पादो के लिए निर्यात के अवसर सुलभ कराये जाने की दृष्टि से म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी द्वारा प्रदेश के उद्यमियों को केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओ के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेलो में भाग लेने हेतु वित्तीय सहायता सुलभ कराने हेतु मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित की जा रही है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु म.प्र. लघु उद्योग निगम के अंतर्गत म.प्र. ट्रेड फेयर

अथॉरिटी के कार्यालय की स्थापना की गई है। इस कार्यालय द्वारा प्रदेश की निर्यात करने वाली इकाईयों को निर्यात के नए अवसर सुलभ कराए जाने की दृष्टि से आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। अथॉरिटी द्वारा मेलो में भाग लेने वाले दल के सदस्यो (प्रदेश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यम तथा स्वरोजगार योजनाओं के तहत लाभान्वित इकाईयां, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों की इकाईयां, बुनकर, हस्तशिल्पी, कारीगर आदि) का चयन कर उन्हें मेलों में भाग लेने हेतु सहयोग प्रदान किया जाता है, ताकि प्रदेश के उद्यमी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादो के निर्यात के अवसर तलाश कर सकें।

म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी के सदस्य निम्नानुसार है :-

1.	माननीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	- अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, म.प्र. लघु उद्योग निगम	- उपाध्यक्ष
3.	उद्योग आयुक्त, म.प्र. भोपाल	- सदस्य
4.	प्रबंध संचालक, म.प्र. इण्डस्ट्रीयल डेवलमेंट कॉर्पोरेशन	- सदस्य
5.	प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम	- सदस्य सचिव

निगम द्वारा म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी के माध्यम से वर्ष 2019-20 तक लगभग 15 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी की गई है।

उक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में निगम द्वारा भारत सरकार एवं राज्य शासन के वित्तीय सहयोग से म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य के बुनकरों/हस्तशिल्पियों/कारीगरों/उद्यमियों/ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाईयों एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना/ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत लाभान्वित इकाईयों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की इकाईयों द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट के निर्यात की सम्भावना के अंतर्गत भागीदारी की जाती है।

(3) <u>कच्चा माल गतिविधि</u> :-

निगम द्वारा प्रदेश की लघु उद्योग इकाइयों को कच्चे माल का प्रदाय किया जा रहा है। इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में लौह इस्पात का एलोकेशन तथा उस पर मिलने वाला रिबेट देना बंद कर दिया गया है। साथ ही भारत सरकार की उदारीकरण की नीति, कच्चे माल पर से मूल्य नियंत्रण हटाए जाने, मुख्य उत्पादनकर्ताओं द्वारा इकाईयों को सीधे माल प्रदाय किये जाने, निजी क्षेत्र के उत्पाद बाजार में सस्ते दामों एवं उधारी पर उपलब्ध होने तथा निगम की प्रतिस्पर्धा में निजी वितरक नियुक्त होने आदि कई कारणों से कच्चा माल वितरण के व्यवसाय को जारी रखा जाना ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो गया है। बावजूद इस गतिविधि के अन्तर्गत निगम द्वारा प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों को लौह, इस्पात आदि की उपलब्धता कराई जाती है। वर्तमान में कच्चा माल भण्डार भोपाल से लौह एवं इस्पात का विक्रय प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को किया जा रहा है। जबलपुर में डिपो को पुनः खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस गतिविधि के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में जनवरी, 2021 तक रु. 21.60 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रु. 26.39 करोड़ का व्यवसाय हुआ है।

(4) <u>टेस्टिंग लेब</u> :-

निगम द्वारा इन्दौर एवं जबलपुर में परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही है। निगम की इन्दौर परीक्षण प्रयोगशाला को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं जैसे एन.ए.बी.एल. (नेशनल एक्रेडेटशन बोर्ड आफ लेबोरटरीज), बी.आई.एस (भारतीय मानक ब्यूरो), एफ.डी.ए., एगमार्क आदि से मान्यता प्राप्त है। परीक्षण प्रयोगशाला जबलपुर को भी आई.एस.ओ. 9001 एवं एन.ए.बी.एल. की मान्यता प्राप्त है। ये प्रयोगशालाएं रॉ मटेरियल, निर्माण सामग्रियों, खाद्य तत्वों तथा औषधियों इत्यादि की जांच के लिए आवश्यक अनेक सुविधाओं से सम्पन्न है। ये प्रयोगशालाएं सरकारी एवं अर्ध सरकारी विभागों के लिए प्रमाणीकरण एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। वर्ष 2007-08 में भारत सरकार की 50

प्रतिशत "ग्रान्ट-इन-एड-योजना" अन्तर्गत दोनों प्रयोगशालाओं में लगभग रू. 65.00 लाख की लागत से अत्याधुनिक परीक्षण उपकरणों का क्रय किया जाकर सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस गतिविधि के अन्तर्गत जनवरी, 2021 तक लक्ष्य रू. 0.86 करोड़ के समक्ष रू. 0.60 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है।

(5) <u>बिजनेस डेव्हलपमेंट सेल</u> :-

मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम केन्द्र शासन की कोयला वितरण नीति (NCDP-2007) के तारतम्य में, प्रदेश के MSME उद्यमियों को कोयला उपलब्ध कराने के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा नामित एजेन्सी (SNA) है। निगम के "बिजनेस डेव्हलपमेंट सेल" (BDC) द्वारा यह गतिविधि संचालित की जाती है।

निकम में बिजनेस डेव्हलपमेंट सेल (BDC) का गठन वर्ष 2005 में हुआ था। तदनंतर वर्ष 2005-06 से बी.डी.सी. द्वारा कोयला कम्पनीज से कोयला आवंटन प्राप्त कर प्रदेश की कोयला प्राप्त करने की इच्छुक MSME इकाईयों के मध्य इसके वितरण का कार्य शासन द्वारा निर्धारित नीति अनुसार सफलता पूर्वक किया जाता रहा है। म.प्र. शासन, वाणिज्य, उघोग और रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 13-3/05/अ-ग्यारह दिनांक 4/7/08 के द्वारा प्रदेश के सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्योगों जिनकी वार्षिक कोयले की खपत 4200 मे.टन तक हो, को म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से कोयले का वितरण करने हेतु प्रक्रिया एवं नीति लागू की गई थी, जिसका पालन करते हुए निगम के बी.डी.सी. विभाग द्वारा प्रदेश की इकाईयों को कोल का वितरण किया जाता रहा है।

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा SNA (म.प्र.ल.उ.नि.) के माध्यम से कोयला वितरण को प्रोत्साहित करने और उद्योगों को अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु NCDP - 2007 में संशोधन करते हुए उपरोक्त वार्षिक कोयले की खपत 4200 मे.टन की सीमा को बढ़ा कर अब 10,000

मे.टन कर दिया गया है। MSME इकाईयों के अतिरिक्त अन्य बड़े उद्योगों जिनकी वार्षिक कोयले की खपत 10,000 मे.टन तक है, को SNA के माध्यम से कोयला प्राप्त करने की पात्रता प्रदान की है।

कोल इंडिया लिमिटेड ने उनके पत्र क्रमांक सी.आई.एल./एम.एण्ड एस./47252/202 दिनांक 11-04-2019 द्वारा म.प्र. लघु उद्योग निगम को राज्य की नामांकित एजेन्सी होने से वर्ष 2019-20 हेतु कोल आवंटन किया है। जिला स्तरीय समिति से प्राप्त कोल को वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनवरी, 2021 तक लक्ष्य रू. 20.13 करोड़ के समक्ष निरंक व्यवसाय किया गया है।

(6) <u>सम्पदा एवं निर्माण गतिविधि</u> :-

निगम की स्थापना के समय शासन द्वारा प्रदेश के औद्योगिकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से निगम को प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण तथा रख-रखाव का कार्य सौपा गया था, जिसका निगम द्वारा पूर्ण निष्ठा से निर्वहन किया गया। कालांतर में सरकार द्वारा यह कार्य अन्य सरकारी संस्थाओं को सौंपा गया। वर्तमान में निगम द्वारा राज्य शासन के एमएसएमई विभाग के निर्माण कार्य के साथ अन्य विभागों जिसमें अनुसूचित जनजाति विकास विभाग/अनुसूचित जाति विकास विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/ग्रामीण विकास पंचायत विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/खेल एवं युवा कल्याण विभाग/पशुपालन विभाग एवं केन्द्र शासन के केन्द्रीय नवोदय विद्यालय समिति के कार्य सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा वर्तमान इन्फ्रास्ट्रक्चर इंटिरियर विभाग के गठन के पश्चात विभिन्न विभागों के आंतरिक साज-सज्जा एवं फर्नीशिंग कार्य का निष्पादन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनवरी, 2021 तक इस गतिविधि के अंतर्गत रू. 59.00 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रू. 28.72 करोड़ का व्यवसाय हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में एमएसएमई विभाग के लगभग राशि रू. 69.61 करोड़ के कार्य, अनुसूचित जाति विभाग के लगभग राशि रू.

7.12 करोड़ के कार्य एवं मेप-आईटी के लगभग राशि रू. 2.03 करोड़ के आंतरिक साज-सज्जा के कार्य किये गये। वित्तीय वर्ष 2020-21 में एमएसएमई विभाग के लगभग राशि रू. 60.52 करोड़ के कार्य प्राप्त होना संभावित है।

(7) <u>वित्तीय परफारमेन्स</u> :-

वर्ष 2020-21 के वास्तविक व्यवसाय, आय-व्यय तथा कार्यपरिणाम (मासिक प्रगति प्रतिवेदन पर आधारित) और विगत वर्षो के कार्यपरिणाम निम्नानुसार हैः-

(राशि रू. लाखों में)

क्र.	वर्ष	कुल व्यवसाय	+लाभ/-हानि
1	2017-18	104955.59	(+) 1292.60 (अंकेक्षित)
2	2018-19	94878.25	(+) 655.45 (अंकेक्षित)
3	2019-20	59189.89	(+) 804.45 (कर पूर्व) (अनअंकेक्षित)
4	2020-21 (माह जनवरी 2021 तक) (मासिक प्रतिवेदन के आधार पर)	39136.28	(-) 124.06 (कर पूर्व) (अनअंकेक्षित)

निगम द्वारा वर्ष 2020-21 में रू. 624.66 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रू. 391.36 करोड़ का व्यवसाय एवं लगभग रू. 1.24 करोड़ की अनुमानित कर पूर्व हानि (मासिक प्रतिवेदन के आधार पर) दर्शाई है।

निगम के वर्ष 2018-19 के लेखे एवं वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के बजट सत्र 2021 में पटल पर रखे जायेंगे। वर्ष 2018-19 के लेखे पूर्ण हो चुके है तथा इन्हें निगम की आगामी वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत किए जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

क्षेत्र के उत्पादों के आयात-निर्यात तथा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने तथा जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उत्पादों के प्रचार-प्रसार की 'ग्वालियर व्यापार मेला' में प्रचुर संभावनायें हैं। वर्ष 1905 से स्थापित इस मेले ने व्यापार जगत में देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपनी खास पहचान बनाई है।

विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14011-इक्कीस-अ (प्रा), दिनांक 30 दिसम्बर, 1996 के द्वारा ग्वालियर व्यापार मेला के बेहतर प्रबन्धन तथा नियंत्रण के लिये 'ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, 1996' प्रभावशील हुआ। इसके प्रावधान के अनुसार, मेला संचालन व नियंत्रण के लिये, ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण निकाय गठित किया गया।

आवश्यकतानुसार समय-समय पर प्राधिकरण की बैठकें आयोजित की जाती हैं। प्राधिकरण के निर्णयों और संकल्पों के अध्याधीन, मेला संचालन व उस पर नियंत्रण से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों को अध्यक्ष समन्वित करते हैं और उन्हें लागू करते हैं। सचिव (शासकीय प्रतिनिधि) कार्यालय और अध्यक्ष/प्राधिकरण के बीच की प्रमुख कड़ी है, जो मेला आयोजन से लेकर कार्यालय तक, प्रत्येक स्तर पर प्रशासकीय व आर्थिक नियंत्रण के लिये तथा प्राधिकरण व अध्यक्ष के आदेशों/निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है।

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 1809/1445/2019/अ-तेहत्तर, दिनांक 13.09.2019 द्वारा प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन किया गया था, जिसे म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 11-02/2019/1/9, दिनांक 20.04.2020 द्वारा निरस्त किया गया।

104 एकड़ के विस्तृत क्षेत्र में फैले मेला परिसर में 1400 दुकानें, 126 कोठरियां, 44 एम.बी., 37 डी सेक्टर तथा 82 दुकानें एस.टी. सेक्टर में शिल्प बाजार के सामने 100 नवीन दुकानें हैं। इन दुकानों के अलावा खुली भूमि तथा प्रदर्शनी स्थल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मोटे रूप में मेला परिसर इलेक्ट्रॉनिक

सेक्टर, व्यापारिक संस्थान, लगेज सेक्टर, दंगल सेक्टर, मनोरंजन सेक्टर, प्रदर्शनी तथा पशु मेला आदि क्षेत्रों में विभाजित है।

मेला परिसर में कई उद्यान विकसित हैं। इन उद्यानों को वैवाहिक एवं अन्य सामाजिक/मांगलिक उत्सवों/आयोजनों के लिये 3-4 वर्षों के लिये ठेके पर दिया जाता है।

ग्वालियर व्यापार मेला व्यापार के अनुसार 11 सेक्टर में विभाजित है, जो कि निम्नानुसार है :-

1. प्रदर्शनी सेक्टर
2. इलेक्ट्रोनिक्स सेक्टर
3. ऑटोमोबाइल सेक्टर
4. झूला सेक्टर
5. कशमीरी सेक्टर
6. लगेज सेक्टर
7. फर्नीचर सेक्टर
8. जनरल/कपडा सेक्टर
9. बक्स एवं ग्रामीण सामान सेक्टर
10. शिल्प बाजार सेक्टर
11 होटल हलवाई/खान-पान सेक्टर

वर्ष 2020-21 में मेले के आयोजन की उद्घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी म.प्रशासन के द्वारा दिनांक 07.02.2021 को की गई। व्यापार मेला बोर्ड द्वारा पारित बैठक क्रमांक 42 के अनुसार मेला दिनांक 15.02.2021 से 15.04.2021 तक संचालित किया जावेगा।

वर्ष 2020-21 में दुकानों का आबंटन प्रारम्भ हो चुका है तथा मेले में दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों का सजावट कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

ग्वालियर व्यापार मेला के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में शासन द्वारा ऑटोमोबाइल के 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों की बिक्री पर रोड टेक्स में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई। इस छूट के प्रभाव से ग्वालियर व्यापार मेले का कुल व्यापार गत वर्ष की तुलना में लगभग दुगना हो गया। इस वर्ष भी रोड टेक्स में 50 प्रतिशत छूट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिससे ऑटोमोबाइल व्यवसाईयों द्वारा बढ़-चढ़ कर भाग लिया जा रहा है।

वर्ष 2020-21 भी गत वर्षानुसार दंगल का आयोजन किया जावेगा, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार विभिन्न वजन वर्ग के आधार पर तकनीक का प्रयोग करते हुये कुश्ती के मुकाबले आयोजित कराये जावेंगे एवं प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को उचित पुरस्कार प्रदान किया जावेगा।

उपरोक्त गतिविधियों के साथ-साथ मेला प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे, जिसमें ग्वालियर की स्थानीय प्रतिभाओं को अधिकाधिक अवसर प्रदान किया जावेगा। मेले के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन एवं मुशायरा तथा बॉलीवुड नाईट का भी आयोजन होगा।

भाग - दो

बजट विहंगावलोकन

उद्योग संचालनालय

बजट नियंत्रण अधिकारी - उद्योग आयुक्त

मांग संख्या - 35 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

(राशि लाख रू. में)

बजट शीर्ष		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21 (जनवरी, 2021 अंत तक)	
		बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय
एक - राजस्व अनुभाग					
मतदेय	001 - निदेशन और प्रशासन	1767.252	1609.985	1817.820	1319.640
	101 - औद्योगिक क्षेत्र	0.008	0.000	100.000	23.260
	102 - लघु उद्योग	80.040	6.206	25.040	09.000
	108 - बिजली करघा उद्योग	1600.392	725.960	800.210	554.100
	200 - अन्य ग्रामोद्योग	6662.956	6064.538	6673.430	4869.730
	800 - अन्य व्यय	54306.696	47916.204	30208.200	19191.810
	योग	**64417.344**	**56322.893**	**39624.700**	**25967.540**
भारित	प्रावधान	0.008	0.000	0.020	0.000
महायोग राजस्व		**64417.352**	**56322.893**	**39624.720**	**25967.540**
दो - पूंजी अनुभाग					
मतदेय	101 - औद्योगिक बस्तियां	30350.010	25547.963	25950.010	5226.020
	800 - अन्य व्यय	3500.020	0.000	3100.020	8.260
	योग	**33850.030**	**25547.963**	**29050.030**	**5234.280**
महायोग मतदेय (राजस्व + पूंजी)		**98267.374**	**81870.856**	**68674.730**	**31201.820**
महायोग (मतदेय + भारित)		**98267.382**	**81870.856**	**68674.750**	**31201.820**

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

निगम द्वारा अपनी गतिविधियों का संचालन स्वयं के स्त्रोतों से ही किया जाता है। निगम द्वारा प्रति वर्ष नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शासन की ओर से भाग लिया जाकर शासन से प्राप्त राशि से मण्डप का निर्माण कार्य एवं संचालन किया जाता है।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

मेला प्राधिकरण की आय का मुख्य स्त्रोत दुकान से प्राप्त किराया राशि तथा मेला प्राधिकरण की भूमि पर बने 09 मैरिज गार्डन हैं। उपरोक्त आय से प्राधिकरण का संचालन किया जाता है।

प्राधिकरण की तीन वर्षो की सकल आय-व्यय एवं लाभ निम्नानुसार है :-

(राशि लाख रू. में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21 (दिनांक 13.02.2021 की स्थिति में)
सकल आय	595.43	681.89	84.36
सकल व्यय	630.79	504.89	102.65
लाभ	-36.46	177.05	-18.29

वर्ष 2020-21 के मेला आयोजन की घोषणा होने के उपरांत आय होना प्रारम्भ हो गई है।

भाग - तीन

राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

(राशि लाख रू. में)

क्र.	योजना			वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21 (जनवरी, 2021 अंत तक)	
				बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय
एक - राजस्व अनुभाग							
(अ) कार्यालयीन							
1	2851-1464	जिला उद्योग केन्द्र	मतदेय	6662.956	6064.538	6673.430	4869.730
			भारित	0.000	0.000	0.010	0.000
2	2852-3370	मध्यवर्ती कार्यालय	मतदेय	1473.648	1348.957	1526.600	1114.970
			भारित	0.008	0.000	0.010	0.000
3	2852-5815	परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालयों की स्थापना		287.858	259.238	291.220	204.670
4	2852-6751	म.प्र. राज्य वस्त्र निगम के विधिक बंदीकरण की कार्यवाही हेतु सहायता (मतदेय)		5.736	1.790	0.000 (3370 में विलय)	0.000
5	2852-7300	स्व. श्री सुशीलचंद्र वर्मा पुरूस्कार योजना		0.010	0.000	0.000	0.000
योग			**मतदेय**	**8430.208**	**7674.523**	**8491.250**	**6189.370**
			भारित	**0.008**	**0.000**	**0.020**	**0.000**
महायोग (मतदेय + भारित)				**8430.216**	**7674.523**	**8491.270**	**6189.370**

क्र.	योजना			वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21 (जनवरी, 2021 अंत तक)	
				बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय
(ब) राज्य योजनायें 2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग							
1	2851-6750	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास		0.008	0.000	100.000	23.260
2	2851-7064	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु वेन्डर डेवलपमेंट मार्केटिंग सपोर्ट		43.648	2.000	25.000	9.000
3	2851 - 7891	रानी दुर्गावती सहायता योजना	0102	14.560	2.749	0.020	0.000
			0103	21.832	1.457	0.020	0.000
4	2851-7690	पावरलूम बुनकरों को रियायती दर पर विद्युत प्रदाय/ब्याज अनुदान	0101	1600.392	725.960	525.210	400.100
			0102	0.000	0.000	150.000	84.000
			0103	0.000	0.000	125.000	70.000
5	2851-2124	एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/ सुविधा प्रदाय योजना	0101	13172.016	13076.089	8100.00	4578.130
			0102	0.000	0.000	2800.00	1568.000
			0103	0.000	0.000	2100.000	4.905
6	2851-2373	इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप योजना		2883.696	224.000	500.000	185.012
7	2851-5101	सीपेट को अधोसंरचना अनुदान		1032.936	1032.936	400.000	258.220
8	2851-6635	म.प्र. राज्य उद्योग निगम के विधिक बंदीकरण एवं परिसंपत्तियों का रखरखाव		0.000	0.000	0.000 (1464 में विलय)	0.000

क्र.	योजना			वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21 (जनवरी, 2021 अंत तक)	
				बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय
9	2851-6646	म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी को आर्थिक सहायता		0.008	0.00	20.000	0.00
10	2851-7215	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	0101	7634.056	6926.093	5308.000	3962.402
			0102	4317.752	3482.394	2200.000	1760.000
			0103	6395.040	5978.260	2500.000	2000.000
11	2851-7589	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	0101	8984.008	8757.061	2300.000	2183.500
			0102	4164.000	4164.000	2000.000	1600.000
			0103	3163.728	3100.450	1000.000	800.000
12	2851-7571	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	0101	1179.400	666.555	500.000	162.300
			0102	444.688	270.000	100.000	26.460
			0103	309.352	150.000	150.000	39.910
13	2851-7432	अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रचार-प्रसार योजना		626.016	88.366	130.200	62.970
14	2851-7623	वेंचर केपीटल		0.000	0.000	100.000	0.000
			योग	**55987.136**	**48648.370**	**31133.450**	**19778.169**
महायोग राजस्व अनुभाग			**मतदेय**	**64417.344**	**56322.893**	**39624.700**	**25967.539**
			भारित	**0.008**	**0.000**	**0.020**	**0.000**
			कुल	**64417.352**	**56322.893**	**39624.720**	**25967.539**
दो - पूंजी अनुभाग							
4851 - ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय							
1	4851-5380	ऑटोमोबाईल्स टेस्टिंग ट्रेक हेतु भू-अर्जन मुआवजा		0.010	0.000	16800.000	0.000
2	4851-6749	भू-अर्जन सर्वे एवं डिमार्केशन (सर्विस चार्ज)		23000.000	22644.988	0.010	0.000

क्र.	योजना		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21 (जनवरी, 2021 अंत तक)	
			बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय
3	4851-6750	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास	7000.000	2663.497	9000.000	5095.610
4	4851-7340	नवीन जिला उद्योग केन्द्रों के भवनों का निर्माण	350.000	239.478	150.000	130.410
5	4851-6820	क्लस्टरो की स्थापना	3500.000	0.000	2500.00	8.260
6	4851-6481	ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण को अनुदान	0.020	0.000	0.020	0.000
7	4851-7623	वेंचर केपीटल कंपनी	0.000	0.000	100.000	0.000
8	4851-7624	एम.एस.एम.ई. वेंचर केपीटल फण्ड में निवेश	0.000	0.000	500.000	0.000
		योग पूंजी अनुभाग	**33850.030**	**25547.963**	**29050.030**	**5234.280**
महायोग (मांग संख्या 35)		**मतदेय**	**98267.374**	**81870.856**	**68674.730**	**31201.819**
		भारित	**0.008**	**0.000**	**0.020**	**0.000**
		कुल	**98267.382**	**81870.856**	**68674.750**	**31201.819**

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

लेदर इंक्यूबेशन सेंटर, देवास

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industry & Entrepreneurship (ASPIRE) के अन्तर्गत देवास मध्यप्रदेश में लेदर इक्यूंबेशन सेन्टर में स्थापित किया जाकर कार्यरत है।

लेदर इक्यूंबेशन सेन्टर से 05 वर्ष की अवधि में 30 उद्यमी तथा 2000 स्किल्ड मेन पॉवर के लिए प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। इसके फलस्वरूप क्षेत्र में रोजगारन्मुखी योजना प्रारम्भ होगी एवं स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने का अवसर प्राप्त होगा। सेन्टर में स्किल्ड मेन पावर के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

एफ.डी.डी.आई. से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस केन्द्र में 01 अप्रैल, 2019 से 31 दिसम्बर, 2020 तक 667 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।

फूड प्रोसेसिंग इन्क्यूबेशन सेन्टर

भारत सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की एस्पायर योजना के अन्तर्गत एक Livelihood Based Incubation Centre स्थापित किए जाने की स्वीकृति भारत सरकार की ओर से प्राप्त हुई है, जिसके अन्तर्गत फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उद्यमिता एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से एक फूड प्रोसिसिंग इक्यूबेशन सेन्टर स्थापित किया जायेगा।

रेडीमेड गारमेन्ट क्लस्टर

भारत शासन की डी.आई.पी;पी. के अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर विकसित करने हेतु मध्यप्रदेश शासन एवं निजी गारमेंट निर्माताओं द्वारा जबलपुर में क्लस्टर विकास की योजना को क्रियान्वित किया गया है। जबलपुर रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर विकास के प्रथम चरण में 200 इकाइयों को सम्मिलित किया गया है, इसमें से 80 इकाईयों द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। योजना अतंर्गत एस.पी.व्ही. जबलपुर रेडीमेड गारमेंट एण्ड फैशन डिजाइन क्लस्टर एसोशिएशन के नाम से भारतीय कम्पनी अधिनियम की कम्पनी के रूप में पंजीकृत कराई गई है। परियोजना में भारत शासन द्वारा

वित्तीय अनुदान प्रदत्त किया गया है तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराई गई है। परियोजना लगभग पूर्णता की ओर है।

एस.सी./एस.टी. हब

नेशनल एस.सी./एस.टी. हब (NSSH) योजनान्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (एम.एस.एम.ई.) भोपाल के आदेश क्रमांक 2066/2017/अ-तेहत्तर दिनंक 29-11-2017 से मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। हब की गतिविधियों को प्रदेश में म.प्र. लघु उद्योग निगम के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 30 अवेयरनेस कार्यक्रम, 02 स्टेट कानक्लेव तथा 02 वेण्डर डेवलपमेंट कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

भाग - चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

विभाग स्तर

समयमान

- विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-32/2020/बी-तेहत्तर, दिनांक 19.01.2021 द्वारा 01 सहायक संचालक को प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया।
- विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-32/2020/बी-तेहत्तर, दिनांक 19.01.2021 द्वारा 01 सहायक संचालक को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया।
- विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-7/2020/बी-तेहत्तर, दिनांक 09.02.2021 द्वारा 04 सहायक संचालकों को प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया।
- विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-24/2016/बी-तेहत्तर, दिनांक 09.02.2021 द्वारा 01 वरिष्ठ निज सहायक को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया।

विभागीय जाँच/लोकायुक्त प्रकरण

विवरण	कुल लंबित प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें अंतिम निर्णय लिए गए	लंबित प्रकरणों की संख्या
विभागीय जाँच प्रकरण	07	00	07
अपील प्रकरण	02	00	02
लोकायुक्त प्रकरण	05	00	05

सूचना का अधिकार

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभाग स्तर पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 25 आवेदन पत्र प्राप्त हुये, जिनमें से 22 आवेदनों का निराकरण किया गया।

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 03 अपीले प्राप्त हुई, जिनमें से समस्त अपीलों का निराकरण किया गया है।

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

समयमान वेतनमान

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
1	39/स्था/(1-ब)/2018/153, दिनांक 10.06.2020	06 शीघ्रलेखकों को प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत
2	39/स्था/(1-ब)/2018/154, दिनांक 10.06.2020	03 सहायक वर्ग-3 को प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत
3	39/स्था/(1-ब)/2018/155, दिनांक 10.06.2020	01 सहायक वर्ग-2 को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
4	39/स्था/(1-ब)/2018/156, दिनांक 10.06.2020	05 सहायक वर्ग-3 को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
5	39/स्था/(1-ब)/2018/157, दिनांक 10.06.2020	04 भृत्यों को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
6	39/स्था/(1-ब)/2018/158, दिनांक 10.06.2020	02 चौकीदारों को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
7	39/स्था/(1-ब)/2018/159, दिनांक 10.06.2020	29 सहायक प्रबंधकों को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
8	39/स्था/(1-ब)/2018/160, दिनांक 10.06.2020	03 शीघ्रलेखकों को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
9	39/स्था/(1-ब)/2018/161, दिनांक 10.06.2020	01 लेखापाल को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
10	39/स्था/(1-ब)/2018/162, दिनांक 10.06.2020	03 सहायक वर्ग-1 को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
11	39/स्था/(1-ब)/2018/163, दिनांक 10.06.2020	01 सहायक वर्ग-2 को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
12	39/स्था/(1-ब)/2018/164, दिनांक 10.06.2020	05 भृत्यों को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
13	39/स्था/(1-ब)/2018/165, दिनांक 10.06.2020	01 चौकीदार को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
14	39/स्था/(1-ब)/2018/166, दिनांक 10.06.2020	01 वाहन चालक को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत

विभिन्न संवर्गो में पदों की स्थिति (31.01.2021 की स्थिति में)

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद (विभाग + प्रतिनियुक्ति)	कार्यरत पदों की संख्या
प्रथम श्रेणी			
01	उद्योग आयुक्त	01	01
02	संचालक	01	01
03	अपर संचालक, उद्योग	06	00
04	संयुक्त संचालक, उद्योग	16	02
05	संयुक्त संचालक, वित्त	01	01
06	महाप्रबंधक/उप संचालक उद्योग	72	42
	योग	**97**	**47**
द्वितीय श्रेणी			
01	प्रबंधक/सहायक संचालक	227	139

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद (विभाग + प्रतिनियुक्ति)	कार्यरत पदों की संख्या
02	प्रशासकीय अधिकारी	01	00
03	वरिष्ठ निज सहायक	09	01
04	लेखा अधिकारी	01	00
	योग	**238**	**140**
तृतीय श्रेणी			
01	सहायक प्रबंधक	330	213
02	अधीक्षक	08	02
03	सहायक अधीक्षक	03	02
04	सहायक वर्ग-1	60	36
05	सहायक वर्ग-2	159	116
06	सहायक वर्ग-3	268	196
07	कम्प्यूटर ऑपरेटर	02	01
08	सहायक आंतरिक लेखा अधिकारी	05	00
09	कनिष्क लेखा परीक्षक	05	03
10	लेखापाल	64	13
11	निज सहायक	26	06
12	शीघ्रलेखक	79	55
13	स्टेनोटायपिस्ट	90	14
14	वाहन चालक	63	19
15	मिस्त्री	01	01
	योग	**1163**	**677**
चतुर्थ श्रेणी			
01	सुपरवाइजर	02	00
02	जमादार	01	00
03	दफ्तरी	01	00
04	भृत्य	228	145
05	चौकीदार	69	32

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद (विभाग + प्रतिनियुक्ति)	कार्यरत पदों की संख्या
	योग	301	177
	महायोग	1799	1041

<u>स्थानांतरण</u>

वर्ष 2020 में स्थानांतरित अणिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी निम्न है :-

क्र.	पदनाम	प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण	स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण	कुल
1	अपर/संयुक्त/महाप्रबन्धक (प्रथम श्रेणी)	10	03	13
2	प्रबन्धक/सहायक संचालक (द्वितीय श्रेणी)	18	06	24
3	सहायक प्रबंधक (कार्यपालिक तृतीय श्रेणी)	06	24	30
4	तृतीय श्रेणी	-	02	02
5	चतुर्थ श्रेणी	00	00	00
	कुल	**34**	**35**	**69**

<u>पदक्रम सूची</u>

1. संयुक्त संचालक (प्रथम श्रेणी अधिकारी) की 1 अप्रेल 2019 की स्थिति दर्शाने वाली पदक्रम सूची जारी की गई है एवं 1 अप्रेल, 2020 की स्थिति दर्शाने वाली पदक्रम सूची का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
2. विभिन्न संवर्ग के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों (अपर संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक एवं वरिष्ठ निज सहायक) की दिनांक 1 अप्रेल, 2019 की स्थिति दर्शाने वाली पदक्रम सूची के प्रस्ताव तैयार किये गये है।
3. तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की 1 अप्रेल, 2019 की स्थिति दर्शानें वाली पदक्रम सूची में अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, निज सहायक, शीघ्रलेखक, सहायक

वर्ग- 1, सहायक वर्ग - 2, सहायक वर्ग - 3, जूनीयर ऑडिटर, स्टेनोटायपिस्ट, लेखापाल, कम्प्यूटर ऑपरेटर, भृत्य, तकनीकी मिस्त्री व चौकीदार की पदक्रम सूची जारी हो चुकी है।

4. 1 अप्रेल, 2019 की स्थिति दर्शानें वाली सहायक प्रबंधक एवं वाहन चालक संवर्ग की पदक्रम सूची जारी करने हेतु प्रक्रियाधीन है।

विभागीय जांच

क्रमांक	श्रेणी	प्रकरणो की संख्या	निराकृत प्रकरण	लंबित प्रकरण
1	प्रथम श्रेणी	04	04	01
2	द्वितीय श्रेणी	02	00	02
3	तृतीय श्रेणी	07	03	04
4	चतुर्थ श्रेणी	02	02	00

पेंशन संबंधी जानकारी

(01 अप्रेल, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक की स्थिति)

क्र.	श्रेणी	पूर्व वर्षो के लंबित प्रकरण	वर्ष 2020-21 में प्राप्त प्रकरण	कुल प्रकरणों की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	शेष लंबित प्रकरणों की संख्या
1	प्रथम	01	04	05	03	02
2	द्वितीय	01	03	04	01	03
3	तृतीय	02	09	11	04	07
4	चतुर्थ	00	01	01	00	01
	योग	**04**	**17**	**21**	**08**	**13**

<u>प्रशिक्षण</u> :-

विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा लगभग 125 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

<u>न्यायालयीन प्रकरण</u>

उद्योग संचालनालय में जनवरी, 2021 तक विभिन्न न्यायालयों में कुल 360 न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित है, जिनमें से अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित 52 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित है।

<u>लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी</u>

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 में शामिल विभागीय सेवाओं के आवेदनों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है।

<u>सूचना का अधिकार</u>

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उद्योग संचालनालय द्वारा विभागीय मैन्यूअल जारी किया गया है। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये अपेक्षित कार्यवाही की गई है एवं प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में जनवरी, 2021 अंत तक 03 अपीलें प्राप्त हुई, जिनमें समस्त अपीलें निराकृत की गई तथा इसी अवधि में सूचना के अधिकार अंतर्गत 46 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से समस्त आवेदन निराकृत किए गए।

ऑडिट

दिनांक 31.01.2021 की स्थिति में महालेखाकार ग्वालियर, मध्यप्रदेश द्वारा दिये गये ऑडिट से संबंधित शासन/संचालनालय/परिक्षेत्रवार लंबित कण्डिकाओं की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्यालय/परिक्षेत्र	निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या	लंबित कण्डिकाओं की संख्या
1	मंत्रालय, एमएसएमई विभाग	02	07
2	उद्योग संचालनालय	18	54
3	भोपाल	10	20
4	इंदौर	16	53
5	उज्जैन	07	28
6	ग्वालियर	17	27
7	जबलपुर	08	31
8	रीवा	09	30
9	सागर	14	27
	योग	**101**	**277**

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

म.प्र. लघु उद्योग निगम कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। निगम का संचालन निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है।

म.प्र. लघु उद्योग निगम कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। निगम का संचालन निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोशियेशन के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है।

शासन के निर्देशानुसार निगम में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील किया गया है। निगम के अधीनस्थ सभी कार्यालयों से लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारी एवं मुख्यालय पर अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई हैं।

माह जनवरी 2021 तक निगम के कुल 141 न्यायालयीन प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित/विचाराधीन है।

निगम में वर्तमान में लगभग कुल 247 नियमित अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है। निगम में 11 अधिकारी एवं कर्मचारी संविदा/अनुबंध पर कार्यरत है।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

- वर्ष 2020-21 में ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के संचालक मण्डल की 42वीं बैठक मेला प्रशासनिक सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता माननीय श्री ओमप्रकाश सकलेचा, मंत्री म.प्र. शासन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा की गई। बैठक में एजेण्डा में शामिल विषयों पर विचार विमर्श किया गया और आवश्यक प्रस्ताव पारित किये गये।
- मेला संचालन हेतु ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण में तृतीय श्रेणी लिपिकीय कर्मचारी दो, बागवान 06, भृत्य 01, चौकीदार 04, सफाई कर्मचारी 01 कुल 14 स्थाई कर्मचारी हैं एवं स्थाई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 03 तथा 04 दैनिक

वेतन भोगी कर्मचारी, संविदा पर 02 कर्मचारी कार्यरत हैं। जिन पर राशि रुपये 6.15 लाख का प्रतिमाह वेतन भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त मेला संचालन में एमएसएमई विभाग के अधिकारी/कर्मचारी लगाये जा रहे हैं।

- विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में पैरवी के लिये अभिभाषकों की सेवायें ली जा रही है।

भाग-पांच

अभिनव योजना

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

म.प्र. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना :- मध्यप्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये पुरस्कृत किये जाने हेतु म.प्र. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना लागू की गई है। इस पुरस्कार योजना से जहां एक ओर उत्कृष्ट कार्य करने वाली औद्योगिक इकाइयों को पहचान मिलेगी वहीं अन्य औद्योगिक इकाइयों को श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रथम पुरस्कार रूपये 2.50 लाख एवं प्रशस्ति पत्र, द्वितीय पुरस्कार रूपये 1.50 लाख एवं प्रशस्ति पत्र तथा तृतीय पुरस्कार रूपये 1.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने का प्रावधान है। उक्त श्रेणी के अतिरिक्त महिला, अन्य प्रकार से सक्षम एवं अजा/अजजा श्रेणी के विनिर्माण उद्यमियों को विशेष पुरस्कार, प्रत्येक को 50 हजार रूपये एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने का प्रावधान है। पुरस्कार में पारदर्शिता हेतु चयन के मानदंड सरल एवं स्पष्ट रखे गये है।

एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 :- राज्य के समग्र औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु म.प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 जारी की गई है, जो 1 अक्टूबर, 2019 से प्रभावशील है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को नीति अंतर्गत सहायता/सुविधा प्रदान करने हेतु "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन

योजना 2019" लागू की गई है। इस योजना अंतर्गत सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल रखी गई है। योजना अंतर्गत सहायता स्वीकृत करने हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सहायता समिति गठित की गई है। योजना अंतर्गत इकाईयों को उद्योग विकास अनुदान, इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास हेतु सहायता, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों हेतु सहायता, निजी औद्योगिक क्षेत्रों/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर की स्थापना/ विकास हेतु सहायता, ऊर्जा लेखा परीक्षा (ऑडिट) हेतु सहायता, गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रतिपूर्ति, पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति और पॉवरलूम, फार्मास्युटिकल एवं परिधान क्षेत्र हेतु विशेष पैकेज प्रदान किये जा रहे है।

भाग - छः

विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

- विभागीय महत्वपूर्ण नियम/अधिनियम/निर्देशों की विस्तृत जानकारी संबंधित नियम/अधिनियम/निर्देश की नीचे उल्लेखित लिंक पर उपलब्ध है :-

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006

   https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/MSMED_Act.pdf

2. म.प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019

   https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/MP_MSMED_Policy_2019.pdf

3. म.प्र. स्टार्टअप नीति 2019

   https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/MP%20Startup%20Policy%202019%20Eng.pdf

4. म.प्र. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017

   https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/Micro%20and%20Small%20Enterprises%20Council%20Rules%20English.pdf

5. म.प्र. राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम

https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/MP_Land_rules_2015_(Amended)_new.pdf

6. म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015

https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/MP_Purchase_Rules_2015.pdf

7. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की लोक सेवा के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित सेवाए

https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/MSME_Lok%20_Sewa.pdf

8. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की मार्गदर्शिका

https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/MMYUY_&_MMSY_New_Guidelines.pdf

9. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/New%20PMEGP%20Guidelines.pdf

10. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019

https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/MP_MSMEP_Scheme_2019.pdf

भाग - सात

सारांश

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

उद्योग संचालनालय, प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने तथा स्थापित एमएसएमई को विभिन्न अनुदान/वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर उद्योगों को सुदृढ़ करने का व उद्योग स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य करता है।

विभाग द्वारा प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न स्वरोजगार योजना जैसे- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वरोजगार के अवसर सृजित किये जाते हैं। प्रदेश के सर्वांगीण व समुचित औद्योगिक विकास हेतु मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2019, मध्यप्रदेश इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति 2019 एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम क्रियान्वित किये जा रहे है। इनके माध्यम से प्रदेश में नवीन रोजगार का सृजन किया जा रहा है।

विभाग द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ स्वरोजगार के लिए वित्तीय व्यवस्था को आसान व सुलभ बनाया जाना, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्थानीय संसाधन एवं स्थानीय कौशल के दोहन पर विशेष बल दिया जाना, प्रदेश के भीतर और दूसरे प्रदेशों के साथ बाजारों की नेटवर्किंग की जाना, उद्योग एवं औद्योगिक विकास के उन्नयन की व्यवस्था तथा गैर कृषि ग्रामीण उद्यमिता को सम-उन्नत, संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाये जाने का भी कार्य किया जा रहा है।

विभाग द्वारा प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु भी निरंतर प्रयास किये जा रहे है।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

म.प्र. लघु उद्योग निगम, लघु उद्योगों के हितों के संरक्षण एवं विकास में निरन्तर संलग्न है। निगम लघु उद्योगों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराकर तथा उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति, प्रदेश के एम.एस.एम.ई. द्वारा उत्पादित सामग्रियों की गुणवत्ता में टेस्टिंग लैब के माध्यम से सुधार का सुझाव देकर उनके उत्थान में सतत प्रयत्नशील है। निगम द्वारा प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर स्थित एम्पोरियमों के माध्यम से बुनकरों तथा हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रदर्शन एवं विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। निगम द्वारा चंदेरी, माहेश्वरी, कोसा इत्यादि साड़ियां बड़ी मात्रा में सीधे बुनकरों से क्रय कर उन्हें कम से कम अवधि में भुगतान कर उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन की समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। निगम का तकनीकी विभाग लघु उद्योग इकाईयों के उत्पादों के परीक्षण व इनकी गुणवत्ता नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। म.प्र. लघु उद्योग निगम निरंतर अपनी 'उत्पादकता' बढ़ाने में प्रयासरत है।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

प्राधिकरण का यह मेला, राष्ट्रीय स्तर का मेला है, जो देश के अन्य प्रदेशों में भी अत्यंत लोकप्रिय है। मेला आयोजन के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के, अति-आकर्षक एवं सराहनीय होते हैं।

भाग - आठ

महिलाओं के लिये किये गये कार्य

स्टार्टअप को सहायता :-

म.प्र. इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति 2019 अंतर्गत महिला उद्यमियों द्वारा प्रारंभ किये जाने वाले स्टार्टअप को 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान एवं लीज किराया अनुदान की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा 3 लाख रू. के बजाय 3.5 लाख रूपये प्रावधानित की गई है। साथ ही राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित आयोजनों में भागीदारी हेतु एक अतिरिक्त सदस्य और शुल्क व आवास के लिये प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा 1 लाख रू. के बजाय 1.5 लाख रूपये प्रावधानित की गई है।

एमएसएमई को सहायता :-

म.प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 अंतर्गत महिला उद्यमियों द्वारा संचालित पात्र विनिर्माण एमएसएमई को अधिकतम 8 प्रतिशत अतिरिक्त विकास अनुदान का प्रावधान है।

स्वरोजगार योजनाए :-

उद्योग संचालनालय अंतर्गत महिलाओ के आर्थिक उन्नयन एवं रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से संचालित विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओ के तहत महिलाओं को भी लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनान्तर्गत महिलाओं हेतु 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान का प्रावधान है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत महिलाओं हेतु 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान और सामान्य आवेदक की तुलना में दोगुनी मार्जिन मनी सहायता का प्रावधान है।

महिला प्रकोष्ठ का गठन :-

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी अधिकाधिक हो इस हेतु जिला स्तर पर जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों में महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

ꢀꢀꢀ

फूड प्रोसेसिंग
एवं
प्लास्टिक पैकेजिंग पर कार्यशाला
मुख्य अतिथि
मा. श्री ओमप्रकाश सखलेचा
म.प्र. शासन

MSME

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

मध्यप्रदेश माध्यम/2021
सुगम प्रिन्टर्स, भोपाल